




# LABOUR DEPARTMENT HARYANA

[Home](#)[About](#) ▾[Labour laws](#)[Duties And Functions](#) ▾[RTS](#)[BRAP](#) ▾[E-Services](#) ▾[Miscellaneous](#) ▾[SO](#)

» [Scheme Detail / इस योजना का विस्तार](#)

[Home \(मुख्य पृष्ठ\)](#) > [Scheme detail \(इस योजना का विस्तार\)](#)

## विधवा पैंशन



### Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 3,000/-रूपये प्रति माह विधवा पैंशन के रूप में दिये जाते हैं।

#### विधवा पैंशन निम्नलिखित शर्तों में लागू नहीं होगी:-

1. यदि विधवा हरियाणा सरकार बोर्ड/कॉरपोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित की जाती है।
2. विधवा के पुनर्विवाह के मामले में।
3. यदि विधवा को किसी अन्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम/पीएसयू से समान लाभ मिल रहा है।
4. विधवा हरियाणा राज्य में नहीं रह रही है।
5. पहचान-पत्र की सत्यापित कम्प्लीट प्रति जिसमें अंशदान जमा होने का विवरण हो, संलग्न करनी होगी।

#### Eligibility / पात्रता

- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : Female
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

#### Benefits / लाभ

Rs.3000

#### Process / प्रक्रिया

##### Work Slip / काम पर्ची

[Download Work Slip](#)

#### Other Schemes / अन्य योजनाएं

- » [पंजीकृत निर्माण कर्मकार के इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद प्रोत्साहन](#)
- » [कोचिंग कक्षाओं के लिए विर्ति व्यवसायिक/तकनीकी संस्थाना महासंसद सुविधा हेतु वित्तीय सहायता](#)
- » [विधवा पैंशन](#)
- » [कामगारों के मेधावी बच्चों \(छात्रों\) के लिए प्रोत्साहन राशी\(10वीं और 12वीं\)](#)
- » [प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता](#)
- » [शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता \(नियम 6\)](#)
- » [बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता \(सुप्र \(शादी के तीन दिन पूर्व\)\) \(नियम 61\)](#)
- » [मातृत्व लाभ \(नियम 50\)](#)
- » [पितृव लाभ \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [औजार \(ट्रॉल किट\) खरीदने हेतु उपदान \(नियम 55\)](#)
- » [मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [सिलाई मशीन योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [साईंकिल योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [कन्यादान योजना \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता \(सुप्र \(नियम 61\)](#)
- » [बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता \(सुप्र \(नियम 61\)](#)
- » [पैतृक घर जाने पर किराया \(धारा 22\(1\)](#)
- » [मुफ्त भ्रमण सुविधा \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [अंपगता सहायता \(नियम 59\)](#)
- » [अंपगता पैंशन \(नियम 54\)](#)
- » [चिकित्सा सहायता \(मजदूरी क्षतिपूर्ति\) \(नियम 59\)](#)
- » [घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तीय सहायता \(धारा 22\(1\)\(h\)\)](#)
- » [मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण \(नियम 53\)](#)
- » [पेंशन की योजना \(नियम 51\)](#)
- » [परिवारिक पेंशन \(नियम 62\)](#)
- » [मुख्यमंत्री सामिजिक सुरक्षा योजना \(नियम 57\)](#)
- » [मृत्यु सहायता \(नियम 57\)](#)
- » [दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता \(नियम 56\)](#)